संख्या:101/2630जेएल/22-3-14-100(56)/2013

प्रेषक,

अखिलेश त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2014***

विषय: जिला कारागार-वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अजय सिंह उर्फ विजय सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह को जिला कारागार-बॉदा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-28718/सामा-1(3)/वाराणसी मं0/2013, दिनांक 07-10-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-वाराणसी के मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अधीन, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार-वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अजय सिंह उर्फ विजय सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह को जिला कारागार-बॉदा स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

संख्या:101/2630जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/बॉदा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/पुलिस अधीक्षक, बॉदा।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी/बॉदा।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in